

- 05 -
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या - 66/2023

प्रदीप भारद्वाज बनाम् झारखण्ड राज्य वगै०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

09/01/24

यह वाद अपीलार्थी प्रदीप भारद्वाज, पिता-स्व० शरण बेलथरिया, ग्राम-रौंची रोड, मरार, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या-75/2022-23 प्रदीप भारद्वाज बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक-20.04.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S - 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा-लपंगा थाना सं०-56 थाना-पतरातू के खाता नं०-34 प्लॉट नं०-854, रकवा-0.0330 ए० प्लॉट नं०-857, रकवा-0.0420 ए० प्लॉट नं०-860, रकवा-0.1365 ए० कुल रकवा-0.2115 ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-लपंगा थाना सं०-56 थाना-पतरातू के खाता नं०-34 प्लॉट नं०-854, रकवा-0.0330 ए० प्लॉट नं०-857, रकवा-0.0420 ए० प्लॉट नं०-860, रकवा-0.1365 ए० कुल रकवा-0.2115 ए० भूमि रैयती खाते की है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें केवाला संख्या-5484, दिनांक-26.10.2010 के द्वारा खतियानी रैयत लालसाय जोल्हा के वैध उत्तराधिकारी यासीन अंसारी, पिता-स्व० इसमाईल मियाँ एवं मनसुर अंसारी, पिता-स्व० दाहो मियाँ से क्रय की गई है। उन्होंने आगे कहा है कि भूमि पर क्रय के समय से ही दखलकार है। बिक्रेता को उक्त भूमि आपसी घरेलु बँटवारा से प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा है कि राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, "प्रस्तावित भूमि रैयती खाते की भूमि है। उक्त खाते की भूमि CNT ACT 46 (1)b के जाति सूची से बाहर है। पंजी-II पेज नं०-92/1 पर बिक्रेता के दादा बालक मियाँ

के नाम से जमाबंदी कायम है। क्रेता को केवाला द्वारा उक्त भूमि खरीदगी से प्राप्त है तथा दखल कब्जा है। अतः क्रेता के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जा सकती है।" फिर भी अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा बिना आपत्ति के दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया गया, जो नियमसंगत नहीं है। अंचल अधिकारी, पतरातू के पारित आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-75/2022-23 दायर किया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के द्वारा बिना किसी fact के दाखिल खारिज अपील अस्वीकृत कर दिया। जो नियमसंगत नहीं है। जबकि Mutation Manual के अनुसार बिक्रेता का जमाबंदी कायम है एवं क्रेता का भूमि पर दखल कब्जा है। उन्होंने रिवीजन आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि अंचल अधिकारी, पतरातू एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने भूमि के बँटवारा से संबंधित वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदन अस्वीकृत किया गया है, जो नियमसंगत है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा-लपंगा थाना सं०-56 थाना-पतरातू के खाता नं०-34 प्लॉट नं०-854, रकवा-0.0330 ए० प्लॉट नं०-857, रकवा-0.0420 ए० प्लॉट नं०-860, रकवा-0.1365 ए० कुल रकवा-0.2115 ए० भूमि रैयती खाते की भूमि है। रिवीजनकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि बिक्रेता को आपसी बँटवारा से प्राप्त है। उनका यह भी कहना है कि उक्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है और बिक्रेता ने अपने हिस्से की भूमि बिक्री की है। लेकिन रिवीजनकर्ता के द्वारा बँटवारा या सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली संबंधित कोई भी कागजात समर्पित नहीं कि गई है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बिक्रेता ने अपने हिस्से की भूमि ही बिक्री की है। लेकिन अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, पतरातू के नामांतरण वाद संख्या-67 R27/2022-23 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारी द्वारा जाँच के उपरांत पाया कि भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा है एवं पंजी-II पेज नं०-92/1 पर बिक्रेता के दादा बालक मियां के नाम से जमाबंदी कायम है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या-75/2022-23 प्रदीप भारद्वाज बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक-20.04.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को Remand किया जाता है एवं निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में रिवीजनकर्ता को नोटिस निर्गत करते हुए पुनः सुनवाई करें तथा दखल कब्जा, इस संबंध में किसी की आपत्ति इत्यादि की जाँच करते हुए आध्यापक आदेश पारित

4

-07-

करे। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित
Chandak
09/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandak
09/01/24
उपायुक्त,
रामगढ़।